कार्यालय पुलिस आयुक्त
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

क्र.स. 2820
यू.बी.एन.नं.–

दिनांकः– 31-8-23
दिनांकः–

ई–निविदा सूचना

जयपुर पुलिस आयुक्तालय, परिक्षेत्र में यातायात व्यवस्था बनाये रखने में यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले दुपहिया वाहनों को उठाने एवं नियत स्थान तक ले जाने के लिये अनुबन्ध के आधार पर ट्रकों की सेवाऐ प्रदान करवाने हेतु ई–निविदा (E-Tender) आमन्त्रित की जाती है जो दिनांक 01.09.2023 को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ की जाकर दिनांक 12.09.2023 को प्रातः 11.00 बजें तक http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजों के साथ दिनांक 12.09.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्तुत की जा सकती है। डाउनलोड करके ऑनलाईन प्रस्तुत की गई निविदा की निर्धारित प्रोसेसिंग फीस, निविदा शुल्क एवं निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्केन करके प्रस्तुत करना होगा तथा दिनांक 12.09.2023 को सायं 3.00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर प्रोसेसिंग फीस निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट भौतिक रूप से जमा करवाने होगे। ई–निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 12.09.2023 को सायं 04.00 बजे खोली जायेगीं।

निविदा की मुख्य शर्ते एवं विवरण ई–निविदा की वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर विभागीय वैबसाईट http://www.police.rajasthan.gov.in एवं राजस्थान सरकार राज्य लोक उपापन पोर्टल की वैबसाईट http://www.sppp.raj.nic.in पर देख सकते है।

क्र. सं.	आवश्यक वाहन	वाहन का प्रकार	मॉडल	वाहनों की संख्या (अनुमानित)	अनुमानित कीमत	धरोहर राशि	निविदा शुल्क
1.	ट्रक	मिनी ट्रक हॉफ बॉडी (16.9X 6.9फुट) जिसमें 12 दुपहिया वाहन खडा रखने एवं ले जाने की सुविधा हो	वर्ष 2015 या बाद का	05	60 लाख	1.20 लाख	1000

(शैलेन्द्र सिंह इन्दोलिया IPS)
पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय
पुलिस आयुक्तालय
जयपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय पुलिस आयुक्त
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

(निविदा प्रपत्र–क्वालीफाईंग बिड)

परिशिष्ट "अ"

घोषणा

निविदा सूचना क्रमांक:– दिनांक:–

(1) ..... के लिए निविदा

(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखें, जिसके लिए निविदा दी गई है)

(2) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म.–.....

का नाम व डाक का पूर्ण पता:–.....

दूरभाष एवं फैक्स नम्बर ईमेल साहितः–.....

(3) निविदा जिसे प्रस्तुत करनी है:– पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

(4) सन्दर्भः–निविदा सूचना संख्याः–..... दिनांक .....जो.....
(समाचार पत्र का नाम) दिनांक..... में प्रकाशित हुई है।

(5) निविदा शुल्कः– राशि रूपये..... बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....
दिनांक .....द्वारा जमा करा दी गई है।

(6) प्रोसेसिंग फीसः– राशि रूपये .....डीडी नं0.....दिनांक.....जमा करा दी है।

(7) अमानत राशिः– राशि रूपये .....डीडी नं0.....दिनांक.....जमा करा दी है।

(8) हम निविदा सूचना संख्या .....दिनांक .....में वर्णित सभी शर्तो से तथा विभागीय शर्तो से संबंधित परिशिष्ट "स" में वर्णित शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। परिशिष्ट "स" के समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को स्वीकार किये जाने के प्रमाण–स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है तथा परिशिष्ट हस्ताक्षर शुद्धा संलग्न है।

(9) हम सहमत है कि विभाग द्वारा निविदा सूचना में अंकित कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर दिया जाएगा।

(10) हम सम्पुष्टि करते है कि "प्राईस बिड" में अंकित की गई दरें "प्राईस बिड" खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है।

(11) हमारा जीएसटी पंजियन संख्या..... है।

(12) हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, जिसके अभाव में निविदा निरस्त योग्य है।

(13) हम सम्पुष्टि करते है कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में निविदा निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

S.No.	Type of Certificate & Other informations	Yes/No	Date of issue/ Validity
1-	Whether tender fee document is submitted with e-tender. Provide details Banker Cheque/DD no..... dt.....		
2-	Whether EMD document submitted with e-tender. Provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt no..... dt..... amount.....		
3-	Whether agreed with all tender conditions		
4-	Whether annexure- D have been downloaded, signed and submitted with e-tender		
5-	Whether G.S.T. registration certificate is submitted with e-tender		
6-	Whether MSME Unit. registration certificate is sued by the Govt. of Rajasthan is submitted with e-tender		
7-	If applied as MSME Unit, registration a notarised affidavit according to finance (GF&AR) department order No FI (1) Fin./GF&AR/2007 (Circular No 24/2010) dated 19-10-2010 submitted with e-tender		
8-	If applied as MSME Unit, Whether notarised certificate on non judicial stamp paper for production Capicity is submitted with e-tender		

Scanned with CamScanner

9-	If bidder has an authorised representative based in jaipur, name address and contact number should be submitted with e-tender		
10-	Bankers certificate regarding running bank account, if bidder has submitted tender for the first time		

(XIII) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।

(XIV) हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड हमारे द्वारा ई–निविदा में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।

नोटः–

1. क्रम संख्या (XII) में अंकित संलग्नको में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे "Yes or 'No' उसके जारी होने की तिथि/(Issuing date Validity date) वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उतरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

2. निविदा भरने की प्रकियाः–

(ए) परिशिष्ट "अ" क्वालीफाईग बिड है क्वालीफाईग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ" "स" एवं "द" तथा अनुलग्नक अ, ब, स में अंकित शर्तो की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' पर हस्ताक्षर उपरान्त ई–निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किए जावेंगे।

(बी) परिशिष्ट "ब" प्राईस बिड है उसे ई–निविदा में निर्धारित प्रारूप (BOQ) में भरा जावे। यदि तकनिकी बिड में ही दरें अंकित कर दी जावेंगी तो सम्बन्धित निविदादाता को अमान्य कर दिया जावेगा। योग्य निविदाकारों की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Scanned with CamScanner

कार्यालय पुलिस आयुक्त
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

परिशिष्ठ "ब"

निविदा प्रपत्र प्राईज बिड

1. जयपुर शहर में अनुबन्ध पर ट्रक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निविदा
2. निविदादाता का नाम.....
3. पत्राचार का पता.....
.....
4. निविदा प्राप्त कर्ता पुलिस उपायुक्त मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय जयपुर
5. निविदा शुल्क राशि 1000/– बैंकर्स चैक (डी.डी.) संख्या..... दिनांक..... द्वारा जमा करवाई जा चुकी है।
6. पुलिस आयुक्तालय जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना .....दिनांक .....एवं निविदा सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्त जो निविदा के साथ संलग्न हैं उनसे हम पूर्णतया सहमत है। (हमारी स्वीकृति बतौर हमने सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।)
7. हमारी दरे निम्न प्रकार होगी–

क्र. सं.	वाहन	दरें विभागीय BOQ में अंकित करें				
1	मिनी ट्रक हॉफ बॉडी(16.9X6.9फुट) जिसमें 12 दुपहिया वाहन खडा रखने एवं ले जाने की सुविधा हो	दर प्रति वाहन (अंको में)	एसजीएसटी पर यूनिट	सीजीएसटी पर यूनिट	दर प्रति वाहन (अंको में) समस्त करों सहित	दर प्रति वाहन (शब्दों में) समस्त करों सहित

नोटः–मिनी ट्रक हॉफ बॉडी जिसमें 12 दुपहिया वाहनों को रखा जा सकें (मॉडल 2014 या बाद का)

8. उक्त दरे 01 वर्ष तक मान्य होगी आवश्यकतानुसार अवधि बढाई या घटाई जा सकती है।
9. बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बैंक ड्राप्ट/बैंकर्स चैक संख्या..... दिनांक..... राशि..... बैंक पर आहरित है।
10. जी.एस.टी. का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न है।
11. पैन कार्ड संलग्न है।

हस्ताक्षर निविदादाता का नाम एवं फर्म की मोहर

Scanned with CamScanner

कार्यालय पुलिस आयुक्त
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

परिशिष्ठ "स"

निविदा सूचना क्रमांकः– दिनांकः–

ई–निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्ते

1. टेण्डर निर्धारित प्रपत्र मे जो कि विभाग से जारी किया गया हो, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
2. टेण्डर के सभी प्रपत्र एवं अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होगें।
3. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई हो तो उस पर लघु हस्ताक्षर अनिवार्य है।
4. ई–निविदा में अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की हार्डकॉपी एवं निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस और बोली प्रतिभूति के मूल डी.डी./बैंकर्स चैक दिनांक 12.09.2023 को समय सायं 3.00 बजे तक पुलिस उपायुक्त मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय जयपुर के कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए।
5. निविदा दिनांक 12.09.2023 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष सायं 4.00 बजे खोली जावेगीं।
6. निविदा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो पर दी जानी है। निर्धारित प्रपत्र में किसी प्रकार का संशोधन के साथ दी गई निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने के पुलिस उपायुक्त मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगें।
7. निविदा देने वाली फर्म द्वारा निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की जावें।

(1) यदि फर्म एकल स्वामित्व की है तो स्वामी का पूरा नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता एवं टेलीफोन नम्बर।

(2) यदि फर्म भागीदारी का है तो भागीदारी–विलेख (पार्टनरशीप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्णन।

(3) कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

(4) ट्रक का पूर्ण विवरण/सूची मय पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जावें।

8. फर्म द्वारा कम से कम 03 ट्रकों का स्वामित्व/कब्जा (पजेसन) होने पर ही निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी। इस बावत दस्तावेज संलग्न करें।
9. निविदा के साथ निविदादाता को नियमानुसार निर्धारित 2% राशि अथवा एमएसएमई के अनुसार बोली प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी। बोली प्रतिभूति का बैंक ड्राप्ट जो पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय जयपुर के नाम देय हो, संलग्न करना होगा तभी निविदा स्वीकार की जावेगी।
10. (1) बोली प्रतिभूति निविदादाता को निविदा की अस्वीकृति पर निविदादाता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर लौटाई जावेगी।

(2) निविदा स्वीकृति होने की दशा में बोली प्रतिभूति संबन्धित निविदादाता द्वारा कार्य निस्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने पर नियमानुसार लौटाई जा सकेगी अथवा कार्य निस्पादन प्रतिभूति राशि में सामायोजित की जा सकेगी।

11. निम्न परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति को जप्त कर लिया जावेगा–

(1) जब निविदादाता टेण्डर खुलने के पश्चात किन्तु स्वीकृति से पहले टेण्डर से पीछे हटता है अथवा टेण्डर में कोई संशोधन करता है।

(2) जब निविदादाता द्वारा निर्धारित समय में अनुबन्ध सम्पादित नहीं किया जाता है।

(3) जब निविदादाता द्वारा कार्यदेश देने के पश्चात निर्धारित समय में कार्य निस्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराई जाती है।

12. निविदा फार्म के साथ में लगाये गये प्रमाणित दस्तावेजों की पुष्टि हेतु विभाग के मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे।

Scanned with CamScanner

13. निविदा स्वीकार होने की स्थिति में निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में विभाग द्वारा दिये गये समय में करार निष्पादित करना होगा।

14. निविदा स्वीकार होने की दशा में विभाग के साथ फर्म के होने वाले अनुबन्ध की पालना के लिए निविदादाता फर्म के मालिक/भागीदारों की मृत्यु की स्थिति में उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होगे।

15. स्वीकृत निविदा के निविदादाता को कुल कार्य की राशि का 5 प्रतिशत अथवा एमएसएमई के अनुसार कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में बोली प्रतिभूति समायोजन करते हुये जमा करवानी होगी। कार्य निस्पादन प्रतिभूति बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट, पोस्ट ऑफिस की एफ.डी.अनुसूचित बैंक की एफ.डी.आर., राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। (जो पुलिस उपायुक्त, (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय जयपुर के नाम रहन की हुई हो।

16. निविदादाता निविदा स्वीकृति होने पर कार्य के सम्पूर्ण भाग/हिस्से को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेंगा। यदि ऐसा करता हुआ पाया गया तो अनुबन्ध बिना किसी नोटिस के समाप्त कर कार्य निस्पादन प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी।

17. स्वीकृत निविदाकार उनके कर्मचारियों को होने वाली हानियों, दुर्घटनाओं, दिये जाने वाले वेतन भत्तों, क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा एवं स्वयं के खर्चो पर उनके सामुहीक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवायेगा। राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

18. किसी भी वाहन/कार्य पर बाल श्रमिकों को नही लगाया जायेगा। कार्य पर रखेजाने वाले कर्मचारियों की न्यून्तम उम्र 18 वर्ष होगी।

19. यदि कार्य करते समय ट्रक की दुर्घटना हो जाती है या उसके कर्मचारियों को चोट लग जाती है तो इसकी लिखित सूचना निविदाकार द्वारा 24 घन्टे में पुलिस उपायुक्त यातायात/पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय जयपुर को देनी होगी।

20. राज्य सरकार बोली प्रतिभूति/कार्य निस्पादन प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं करेगी। प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ.डी.आर. के रूप में संविदा अवधि के लिए राज्य सरकार के नाम एन्डोर्समेन्ट होगा, स्वीकार की जा सकेगी।

21. पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, जयपुर को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होगें तथा उक्त कारण किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्वों से विभाग को कोई सरोकार नहीं होगा।

22. न्यूनतम दरों वाली निविदा को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है और ऐसी स्थिति में कोई भी निविदादाता इस हेतु किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकारी नहीं होगा।

23. अंकेक्षण के दौरान यदि निविदादाता के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया अनियमित भुगतान वसूली निकाली जाती है तो उसका भुगतान सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जायेगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार फर्म से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

24. अनुबन्ध की अवधि–इस कार्य हेतु अनुबंध किये जाने की तिथि या कार्यादेश जो भी पहले हो से एक वर्ष तक की अवधि के लिए मान्य होगा। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में दोनो पक्षों की सहमति के आधार पर वित्तिय नियमानुसार और बढाया जा सकेगा।

25. इस निविदा के अन्तर्गत विभाग मिनी ट्रक हॉफ बॉडी जिसमें 12 दुपहिया वाहन खडे हो सके 05 ट्रकों की जयपुर पुलिस आयुक्तालय, जयपुर परिक्षेत्र हेतु सेवाऐं ली जानी है। भविष्य में आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा ट्रकों की संख्या में कमीं वेसी की जा सकती है। चूंकि विभाग ट्रक सेवाए अनुबन्ध पर ले रहा है, अतः अनुबन्धकर्ता को ट्रकों के चालक, खलासी एवं 4 हैल्पर, ईधन, मरम्मत, टूट फूट आदि की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी। विभाग द्वारा इस हेतु कोई व्यवस्था नहीं की जायेगीं। इस अनुबन्ध के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जाने वाले ट्रकों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम (यथा माईक, बेटरी आदि) भी अनुबन्धकर्ता को उपलब्ध करवाना होगा। ट्रक सेवाऐं सामान्य रूप से प्रतिदिन 12 घन्टों के लिये पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर के निर्देशानुसार रात्रि या दिन में ली जावेंगी, इसके बाद ट्रकों का पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/यातायात, जयपुर द्वारा निर्देशित स्थान पर खडा करना होगा किन्तु आपात स्थिति में विभाग इस अवधि के बाद भी किसी भी समय अनुबन्धकर्ता को ट्रक सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश दे सकता है। जिसकी पालना अनुबन्धकर्ता को आवश्यक रूप से करनी होगी।

Scanned with CamScanner

26. सेवा का क्षेत्र– यह ट्रक सेवाए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए ली जा रही है। अतः इसके उपयोगकर्ता पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर होगे। पुलिस उपायुक्त यातायात अथवा इसके अधीनस्थ अधिकारियों के निर्देशानुसार इन सेवाओं का उपयोग आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार की सीमाओं में लिया जावेगा। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, जयपुर इस ट्रक सेवाओं के उपयोग के लिए समय–समय पर आवश्यक निर्देश देने में सक्षम होगे।

27. अनुबन्धकर्ता की जिम्मेदारियॉं–

(1) अनुबन्धकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे ट्रक मेकेनिकल रूप से फिट हो, जिससे कार्य के दौरान ब्रेक डाउन न हो।

(2) यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ट्रक का चालक पर्याप्त अनुभवी एवं योग्य हो तथा उसके पास ऐसे भारी वाहन को चलाने का नियमानुसार लाईसेन्स हो।

(3) चालक एवं उसके सहयोगी भारी एवं हल्का वाहनों को उठाने एवं ले जाने के कार्य में पूर्णतः दक्ष हो, जिससे उठाये जा रहे वाहनों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। ऐसा होने पर अनुबन्धकर्ता ऐसी समस्त नुकसान की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(4) ट्रकों को पुलिस उपायुक्त यातायात के निर्देशानुसार समय पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने की स्थिति में यदि पुलिस विभाग द्वारा अन्य किसी साधनों से अवरोध हटाया जाता है तथा इस हेतु कोई राशि व्यय की जाती है तो इस राशि की वसूली अनुबन्धकर्ता से की जावेगी।

(5) अनुबन्धकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विभाग को उपलब्ध कराये जा रहें ट्रक रजिस्टर्ड हो एवं मोटर वाहन कानून के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की राशि बाकी न हो।

(6) अनुबन्धकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ट्रक सर्विसदाता के अधीन ट्रक पर कार्य करने वाले व्यक्तियों (यथा ड्राईवर, हैल्पर्स, खलासी आदि) द्वारा यदि लॉग बुक संधारित नहीं की जाती है अथवा वाहनों को उठाने की राशि के सम्बन्ध में हेराफेरी की जाती है, तो उसे "ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्ट" माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(7) अनुबन्धकर्ता को प्रत्येक ट्रक की एक लॉग बुक संधारित करनी होगी, जो पुलिस उपायुक्त यातायात या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिदिन प्रमाणित की जावेगी। पुलिस उपायुक्त, यातायात अथवा पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय जयपुर के अधिकृत अधिकारी इस लॉग बुक को किसी भी समय आकस्मिक रूप से जांच करने हेतु समक्ष होगें। जांच के दौरान लॉग बुक न पाई जाने अथवा अपूर्ण पाये जाने पर ट्रक द्वारा सेवायें देना प्रमाणित नहीं माना जावेगा।

28. मरम्मत हेतु स्वीकृति अवधि– प्रत्येक मशीनरी के सहज संचालन के लिये आवश्यक है कि उसका अवधि/चालन के पश्चात सर्विस आदि की जावे। अतः इस अनुबन्ध के अन्तर्गत उपयोग में लाई जा रही प्रत्येक ट्रक के लिये एक माह के दौरान एक दिवस (अधिकतम 24 घण्टे) देय होंगे। यदि ट्रक सर्विसिंग में अधिकृत समय से अधिक समय लगता है तो उस स्थिति में ला एण्ड आर्डर की स्थिति मेन्टेन करने, यातायात सुचारू रूप से संचालित करने व अन्य कारणों से दूसरी ट्रक सेवा ली जाती है तो उसको दी जाने वाली राशि की वसूली भी अनुबन्धकर्ता से होगी। इस अवधि का एक माह के दौरान उपयोग में न लाने पर अगले माह में कर, फारवर्ड नहीं किया जावेगा। इस मान्य अवधि की कोई कटौती नहीं की जावेगी। किन्तु यदि इसके अधिक अवधि सर्विसिंग में ली जावेगी तो देय मासिक आय का 1/15 भुगतान प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जावेगा। जो अधिकतम एक माह के आय की राशि के बराबर होगा। वाहन द्वारा आदतन विलम्ब से आना एवं समय से पहले जाने को मरम्मत समय में शामिल नहीं माना जावेगा।

29. दण्डात्मक प्रावधान– यह अनुबन्ध पुलिस विभाग को कार्य के दौरान ट्रक सेवायें उपलब्ध कराने के लिये किया जा रहा है। यदि अनुबन्धकर्ता किसी कारणवश समय पर सेवा देने में असमर्थ रहता है तो पुलिस उपायुक्त, यातायात जयपुर अपने स्तर पर निविदादाता की रिस्क व कॉस्ट पर अन्य किसी ट्रक को बाजार से किराये पर लेकर अपना कार्य करने के लिये स्वतन्त्र है, यदि देय किराया अनुबन्ध के किराये से अधिक होगा तो अधिक राशि अनुबन्धकर्ता की आय से वसूली योग्य होगी।

Scanned with CamScanner

30. बोली प्रतिभूति – इस निविदा के साथ प्रत्येक निविदादाता को निर्धारित बोली प्रतिभूति जमा करानी होगी। इस हेतु पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, जयपुर के पक्ष में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अनुबन्ध की कुल राशि की पांच प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। बोली प्रतिभूति उस अवसर पर इस कार्य निस्पादन प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी। असफल रहने वाले निविदादाताओं को अर्नेस्ट मनी निविदा पर निर्णय होने के एक माह में वापस कर दी जावेगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

31. अनुबन्ध– सफल निविदादाताओं को कार्य आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह में नियमानुसार निर्धारित मुल्य का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जयपुर के साथ एक अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। अनुबन्ध समय पर न होने की स्थिति में बोली प्रतिभूति जप्त कर ली जावेगी।

32. संविदा अवधि में संविदा के दोनों पक्षों के मध्य यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय/यातायात या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थता वार्ता में दोनों पक्ष अपना एक –एक प्रतिनिधि भेज सकेगें। मध्यस्थता में दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

33. कार्यादेश देने के 10 दिवस में वांछित ट्रक उपलब्ध कराना होगा। इस अवधि को पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) द्वारा घटाया बढाया जा सकता है।

34. निविदादाता फर्म का निविदा तकनिकी दस्तावेज के साथ GSTR अदयतन संलग्न करना अनिवार्य है, इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

35. वित्तीय वर्ष 2022–23 का टर्न ओवर कम से कम 35.00 लाख होना चाहिये। जो CA द्वारा प्रमाणित हो।

36. समस्त अधिकार पुलिस आयुक्त जयपुर के पास सुरक्षित होंगे।

37. किसी भी कानूनी विवाद के लिये जयपुर स्थित कार्यालयों/न्यायालयों में ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

38. निविदा दाताओं द्वारा 05 ट्रक उपलब्ध कराने होगें। इन वाहनो का उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकेगा।

A. वाहनों को नो–पार्किंग क्षेत्र से उठाकर निर्धारित स्थान पर ले जाने हेतु।
B. यातायात अवरूद्ध करने वाले वाहनों को उठाकर निर्धारित स्थान पर ले जाने हेतु।
C. दुर्घटना ग्रस्त वाहनों को उठाकर निर्धारित स्थान पर खड़े करने हेतु।
D. एम.वी. एक्ट में जब्त वाहनों को निर्धारित स्थान पर छोडनें हेतु।
E. पुलिस उपायुक्त (यातायात) के निर्देशानुसार अन्य कार्य हेतु।

37. निर्धारित स्थानों का चयन पुलिस उपायुक्त (यातायात) द्वारा किया जायेगा।

38. निविदादाता को यातायात पुलिस जयपुर द्वारा निर्धारित रंग की गाडिया ही उपलब्ध करानी होगी जिसके सामने व पीछे यातायात पुलिस जयपुर लिखा होगा।

39. ट्रकों परं कार्यरत स्टॉफ को कार्य समय के दौरान यातायात पुलिस द्वारा निर्धारित गणवेश धारण करना अनिवार्य होगा।

40. फर्म द्वारा ट्रकों पर कार्यारत स्टाफॅ को राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 हेतु जारी गाईड लाईन्स की पूर्ण पालना सुनिशिचित करनी होगी।

41. शर्तो का उल्लंघन करने पर प्रथम बार 5000/– तथा बाद में उसी प्रकार के प्रत्येक उल्लघंन पर 10,000/– का जुर्माना वसूल किया जावेगा। तीन बार उल्लघंन के बाद निविदा निरस्त की जा सकेगी।

42. निविदा में चाहे गये 05 ट्रकों में से 03 ट्रक एक दिन के शॉर्ट नोटिस पर उपलब्ध कराने होगें।

43. सप्ताह में एक दिन ट्रक कानून व्यवस्था की अन्य डयूटियों हेतु भी उपलब्ध कराने होंगे। उस दिन वाहन उठाने के लक्ष्य को सप्ताह के अन्य दिनों में मासिक औसत अनुसार पूरा किया जायेगा।

44. न्यूनतम वाहन उठाने का लक्ष्य:

(1) ट्रकों के लिये प्रति ट्रक प्रति वर्ष न्यूनतम 15,120 दुपहिया वाहन उठाये जायेगें।

Scanned with CamScanner

45. कानून व्यवस्था की स्थिति को मध्यनजर रखते हुऐ न्यूनतम वाहन उठाने के लक्ष्य में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।

46. जीएसटी/आयकर प्रतिमाह जमा कराने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी तथा प्रत्येक माह जमा करवाकर रसीद/चालान की प्रति सहित इस कार्यालय को सूचित करेगा एवं भविष्य में भी आयकर विभाग/वाणिज्यकर विभाग द्वारा कोई दायित्व/नोटिस जारी होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी संबंधित फर्म की होगी।

47. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष के लिये होगी, इसे विभागीय आवश्यकतानुसार घटाया या बढाया जा सकता है।

48. आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी रूल्स 2013 के सभी प्रावधान उक्त निविदा पर प्रभावी होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

–:निविदा की मुख्य शर्तें:–

1. निर्धारित निविदा शुल्क एवं बोली प्रतिभूति, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जयपुर के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दी जायेगी।
2. निविदा के साथ राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड की 1000/–रूपये प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार प्रबंधक निदेशक आर.आई.एस.एल. के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अलग से दी जायेगी।
    1. निविदा की लागत राशि रूपये 60.00 लाख है इसलिये रूपये 1000/–आरआईएसएल के नाम से प्रोसेसिंग फीस डी.डी/बैंक ड्रफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
    2. निर्धारित निविदा शुल्क, धरोहर राशि (बोली प्रतिभूति) एवं प्रोसेसिंग फीस के अलग–अलग बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को ऑन लाईन निविदा के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा दिनांक 12.09.2023 को सायं 3.00 बजे तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से निविदा शुल्क धरोहर राशि (बोली प्रतिभूति) एवं प्रोसेसिंग फीस के बैकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होगे। निर्धारित निविदा शुल्क धरोहर राशि प्रोसेसिंग फीस के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी। निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जावेगा।
3. क्वालिफाईग बिड में योग्य पाये गये निविदाकारों की ही प्राईस बिड खोली जायेगी। नवीनतम जानकारी के लिये उक्त वैबसाईट एवं राज्य सरकार के उपापन पोर्टल को देखा जा सकता है।
4. जो निविदाकार ई–निविदा (E-Tender) में भाग लेना चाहते है सर्वप्रथम उन्हें वैबसाईट पर http://www.eproc.rajasthan.gov.पद पर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात जो निविदाकार ऑन लाईन टेण्डर्स में भाग लेना चाहते है, उन्हें सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act2000) के तहत डिजीटल सर्टिफिकेट (Type II o Type III) लेना होगा। निविदाकार किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजीटल सर्टिफिकेट ले सकते है। जिन निविदाकारों के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजीटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
5. जो निविदाकार ई–निविदा में भाग लेना चाहते है वे वांछित दस्तावेजों के साथ वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.पद पर ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक निविदा प्रस्तुत कर सकते है।
6. निविदा के साथ निविदादाता वैध जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करेगें।
7. जीएसटी प्रमाण पत्र में निविदत्त वस्तु या वस्तुओं के ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
8. समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण–पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ हो।
9. दरों की वैधता–प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।
10. यदि कोई निविदादाता किसी वित्तीय वर्ष में कार्य करने में असफल रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष से आगामी तीन वित्तीय वर्षो तक विभागीय निविदाओं में भाग लेने के लिये योग्य नहीं होगा। यदि किसी निविदाकार ने फिर ई–निविदा में भाग लिया है तो वह प्रथम दृष्टया निरस्त की जा सकती है।
11. किसी सेवा व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले बिडदाता को अपने बैंकर का परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. निविदा के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
13. विस्तृत शर्तो के लिए विभागीय निविदा परिशिष्ट–अ, ब, स व द एवं अनुलग्नक–अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके निविदा में भाग ले सकते है। उक्त मुख्य शर्तो एवं विभागीय निविदा परिशिष्ट अ, ब, स व द तथा अनुलग्नक–अ, ब, स में उल्लेखित शर्तो के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय निविदा शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट द' एवं अनुलग्नक 'ब' डाउन लोड करने के बाद हस्ताक्षर उपरान्त ई–निविदा के साथ स्केन करना होगा। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी निविदाकार ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह निविदा निरस्त कर दी जावेगी और ई–निविदा में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।
14. यह निविदा द्वी–प्राक्रमी है जिसमें तकनीकी बीड व वित्तीय बीड अलग–अलग भरी जावेगी। एक साथ भरी जाने पर अथवा बिना लिफाफे के प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
15. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर हीं विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
16. विभागीय क्रय समिति के निर्णायनुसार पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर किसी भी निविदा अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेगें।

Scanned with CamScanner

17. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी पुलिस आयुक्त, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर होगे।
18. निविदा के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है–

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर फोन नम्बर 0141–2209236

19. न्यूनतम दरदाता फर्म से अनुबन्ध अवधि के दौरान अन्य किसी संस्था अथवा विभाग को इस कार्यालय की अनुमोदित दर से कम दरों पर ट्रक उपलब्ध कराया जाता है तो फर्म को भुगतान उसी कम दर से किया जावेगा।
20. किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार या संबंधित स्वायतशासी संगठन(Autonomous Bodies) में इस कार्य से सम्बन्धित कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है।

(शैलेन्द्र सिंह इन्दोलिया IPS)
पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय
पुलिस आयुक्तालय
जयपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय पुलिस आयुक्त
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

परिशिष्ठ "द"
निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिन आईटम/स्टोर/कार्य के लिए निविदा दी है, उनका/उनके लिए मै/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/थोक विक्रेता/ऑथोराईज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग मार्केटिंग एजेण्ट/प्राधिकृत डीलर/डीलर हूँ/है। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ठ अ, ब एवं स तथा निविदा सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूगां/करेगें और मै/हम उन्हे अक्षरक्षः स्वीकार करते है तथा मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृति में लिप्त नहीं है और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बयाना/प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावें तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावें।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

Scanned with CamScanner